1	2	3	4
	(iii)	19.54	To make good the shortfall of Rs. 19.54 crores due to the difference in estimates of share of Central Taxes as made by the Tenth Finance Commission and share of Central taxes as provided in the Central
	(iv)	18.00	Revalidation of the Special Plan Loan of Rs. 18 crores (out of the special plan loan of Rs. 30 crores) which was adjusted against the additional Central Assistance of an
	(v)	225.98	Write off of Rs. 225.98 crores of Central Loans to the State.

पांच लाख रुपये से अधिक की बकाया कर-राशि वाले आयकर दाता

2910. **डा. वाई. लक्ष्मी प्रसाद:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे आयकर दाताओं की संख्या कितनी है जिनकी ओर पिछले तीन वर्षों से पांच लाख रुपये से भी अधिक की आयकर की राशि बकाया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त करदाताओं में से कितने आयकर दाताओं के विरुद्ध आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर की राशि वसूली के लिए कार्रवाई की गई है;

(ग) ऐसी कार्रवाई से आयकर की कितनी राशि वसूल की गई है;

(घ) क्या आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्षय-रोग से पीड़ित लोगों का उपचार

2911. **श्री इकबाल सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षय-रोग से पीड़ित लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा हेतु सरकारी अस्पतालों में कोई प्रभावी व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि क्षय-रोग से पीड़ित लोगों की सरकारी अस्पतालों में उचित देखभाल नहीं होती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि क्षय-रोग से पीड़ित लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा प्रदान नहीं की जाती और उन्हें खुले बाजार से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या-क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) राष्ट्रीय क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत जिला प्रशिक्षण केन्द्रों, क्षय-रोग क्लीनिकों तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से रोगियों को नि:शुल्क आवासीय उपचार तथा औषधियों की आपूर्ति को प्राथमिकता देता है।

(ग) और (घ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय रोगियों को नि:शुल्क औषधियां प्रदान की जाती हैं। यह कार्यक्रम, इसके अन्तर्गत पंजीकृत देश में रोग लक्षण युक्त थूक वाले सभी रोगियों को केन्द्रीय स्तर से शत-प्रतिशत क्षय-रोग रोधी औषधों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव करता है।